21. अशोक
22. सतीश } पुत्रगण रामभरोसी } जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम पुरा मदारी तह0 बाडी
23. सौनू
24. घूरे पुत्र बदनसिंह
25. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा बाडी
26. तहसीलदार बाडी बहैसियत लैण्डहोल्डर

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री बनवारीलाल शर्मा एड0

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0 अधि0**

दिनांक :– 26.11.2019

दावा सं. 10/2011

**निर्णय**

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 98/1–02, 226/1–09, 311/0–08, 426/0–05 कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा 04 विस्वा बांके ग्राम पुरा मदारी तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। मद संख्या 2 में सिजरा फरीकेन प्रस्तुत किया। विवादित आराजी का पूर्व खातेदार काश्तकार वादी के ताऊ छिद्दा का लडका पन्ना था। जो विवादित आराजी पर जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त करता रहा। वादी के ताऊ के लडके पन्ना की मृत्यु बिना बीबी व बिना औलाद के अर्सा करीब सन् 1980 के करीब हो गई। पन्ना की मृत्यु के बाद विवादित आराजी उसके नजदीकी वारिसान वादी व प्रति सं0 1 लगा0 16 के पूर्वज दीवान व माताप्रसाद तथा प्रति0 सं0 17 लगा0 24 के पूर्वज रामभरोसी तथा वादी के चाचा हीरा को विरासतन प्राप्त हुई। वे पन्ना के मरने के बाद विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे। वादी के ताऊ हीरा की मृत्यु बिना बीबी व औलाद के हो गई और विवादित आराजी में जो हीरा का हिस्सा था वह विरासतन वादी व प्रति0 पर बहिस्सा बराबर बराबर प्रकान्त हुआ। वादी के चाचा के लडके दीवान व माताप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रति0 सं0 1 लगा0 16 है तथा वादी के भाई की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान प्रति0 सं0 20 लगा0 23 है। जो मृतकों के स्थान पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। वादी के ताऊ के लडके पन्ना की मृत्यु के बाद जो दाखिला खारिज सं0 140 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया वह सही व कानूनन तथा विरासत के आधार पर भरा गया था। जब पटवारी हल्का विरासत का दाखिला को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत टौंटरी से फैसल करने हेतु पेश किया तो प्रति0 सं0 1 लगा0 3 के पति व पिता तथा प्रति0 सं0 4 गला0 11 के ससुर व बाबा दीवान ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत टौंटरी से सांठ गांठ करके कानून के विपरीत 23.08.1980 को विवादित आराजी का नामान्तकरण अकेले अपने नाम करा लिया। क्योंकि सरपंच वादी से चुनावी रंजिश रखता था। उक्त नामान्तकरण में दीवान ने अपने को पन्ना के गोद जाना बताया था। यह नामान्तकरण बिना किसी दस्तावेज के किया गया है जो प्रभावहीन है। ऐसे नामान्तकरण से प्रति0 सं0 1 लगा0 11 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। क्योंकि प्रति0 सं0 1 लगा0 11 के पूर्वज दीवान द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत किया और ना उसके पास कोई गोदनामा

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज0

था। विवादित आराजी पर आज भी वादी व प्रति0 अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी में वादी 1/12 भाग का तथा प्रति0 सं0 1 लगा0 17 1/3 भाग के तथा प्रति0 सं0 18 1/12 भाग का, प्रति0 सं0 19 1/12 भाग का, प्रति0 सं0 20 लगा0 23 1/12 भाग का तथा प्रति0 सं0 24 शेष 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है। प्रति0 सं0 1 लगा0 11 के पूर्वज दीवान ने साजिश के तहत विवादित आराजी का नामान्तकरण अपने नाम करा लिया उसके संबंध में वादी के ताऊ के लडके घूरे ने एक दावा न्यायालय श्रीमान में उनवानी घूरे बनाम दीवान पेश कि जिसमें वादी भी प्रति0 पक्षकार था और वादी ने उक्त वाद में दावे को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया और विवादित आराजी में अपना हिस्सा माना है। उक्त दावे में भी प्रति0 सं0 1 लगा0 11 के पूर्वज ने कोई गोदनामा पेश नहीं किया और ना ही उसके पास कोई गोदनामा था। दिनांक 25.01.2011 को जब वादी विवादित आराजी में खडी फसल की देखभाल कर रहा था तो प्रति0 सं0 1 लगा0 11 विवादित आराजी पर आये और वादी को धमकी दी कि तू चुपचाप विवादित आराजी का कब्जा छोड दे हम तुझे विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देंगे। क्योंकि विवादित आराजी का खाता हमारे नाम है। वादी ने कहा कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्डाधिकारी के यहां मुकदमा विचाराधीन है। तो प्रति0 कहने लगे कि हमने घूरे से समझौता कर लिया है। अब कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। तुझे विवादित आराजी का कब्जा छोडना ही होंगा। अगर तूने विवादित आराजी का कब्जा नहीं छोडा तो विवादित आराजी को किसी लट्ठ वाले व्यक्ति को रहन वय कर देंगे। प्रति0 की धमकी से भयभीत होकर जब वादी ने न्यायालय श्रीमान में घूरे बनाम दीवान दावा के संम्बन्ध में जानकारी की तो वादी को पता चला कि वादी घूरे ने प्रति0 सं0 1 लगा0 11 के पूर्वज दीवान से साजिश करके दावा खारिज करा लिया है। जिसकी जानकारी वादी को नहीं हो सकी। उपरोक्त हालातों में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करावे तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर दावे में वादी ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी में वादी व प्रति0 वादपत्र की मद संख्या 8 में दर्शाये गये हिस्सों के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रति0 सं0 1 लगा0 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करें। राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 15 लगा0 24 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। प्रति0 सं0 1 लगा0 11 ने जवावदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्ति में अंकित किया है कि :–

वादी एवं घूरे, डालचंद, सुजानसिंह, रामभरोसी ने साजिश कर उक्त दावा में अंकित आराजी के प्रति घूरे से एक वाद घूरे बनाम दीवानसिंह वगै0 के उनवान से न्यायालय श्रीमान की अदालत में दिनांक 16.10.1982 को प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी रामवीर एवं डालचंद, सुजानसिंह, रामभरोसी ने न्यायालय में दिनांक 30.08.1999 को इकबाल दावा तहरीर कराकर एवं अपने हस्ताक्षर कर पेश किया था। जिसे आज 12 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार से उक्त वादी द्वारा पेशशुदा दावा

धिकारी
पूर) राज0

समय अवधि बाहर है चलने योग्य नहीं है। जो रेसज्यूडीकेट की तारीफ में आता है। दावा की मद सं0 2 में सिजरा गलत पेश किया गया है। क्योंकि प्रति0 सं0 6 टीकमसिंह उम्र 14 वर्ष, 7 पिंकू उम्र 12 वर्ष, 8 लोकेश 7 बर्ष, 9 हरिओम उम्र 3 वर्ष, 10 ओमकली उम्र 9 वर्ष, 11 कोलू उम्र 5 वर्ष नाबालिगान है। जबकि दावा एवं सिजरा में बालिगान अंकित है। इस कारण भी दावा काबिल खारिजी के है। हम उत्तरदाता के पूर्वज दीवानसिंह के नाम नामान्तकरण ग्राम पंचायत टौंटरी द्वारा मुताबिक गोदनामा एवं साक्ष्य सबूत लिये जाकर विधिवत तरीके से दिनांक 23.08.1980 को तस्दीक किया गया है। जिसे सही मानकर राजस्व रिकार्ड में हम उत्तरदाता दीवानसिंह पुत्र रतीराम के नाम मृतक पन्ना का उचित वारिस माना जाकर नामान्तकरण खोला गया जो आज भी प्रभावी है। जिसे अर्सा करीब 32 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

अतः दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

दावे एवं जवावदावे के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादी वादपत्र की मद संख्या 8 में दर्शाये गये हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।
2. आया वादी प्रति0 सं0 1 लगा0 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।
3. आया दीवानसिंह के नाम गोदनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण सन 1980 में साक्ष्य किया जाकर व वारिस मानकर खोला गया है।
4. आया सिजरा गलत अंकित किया गया है।
5. आया विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में दावा चल चुका है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली में वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex 1 नकल जमाबन्दी सं0 2059–72, Ex 2 नकल नामान्करण, Ex 3 नकल जमाबन्दी सं0 2064–67 प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में PW 1 रामवीर, PW 2 राधेश्याम, PW 3 आनंदसिंह के बयान कराये गये। तत्पश्चात प्रति0 न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः सभी प्रति0 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार पन्ना पुत्र छिद्दा था। Ex 2 नकल नामान्करण के द्वारा प्रश्नगत आराजी प्रति0 सं0 1 लगा0 11 के पूर्वज दीवानसिंह के नाम अंकित की गई है। उक्त नामान्करण में पटवारी हल्का द्वारा पहले तो वादी व प्रति0 के पूर्वजों के नाम अंकित कर ग्राम पंचायत में पेश किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय प्रश्नगत आराजी को दीवानसिंह के नाम गोदनामा एवं सही वारिस मानते हुए तस्दीक किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में दीवानसिंह के नाम का अंकन हुआ है। परन्तु जिस गोदनामा के आधार पर उक्त नामान्तकरण खोला गया है वह नामान्तकरण के साथ संलग्न नहीं है और ना ही प्रति0 द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण कानूनन गलत खोला गया है। इसके अलावा प्रति0 का न्यायालय में अनुपस्थित आना भी यह माना जा सकता है कि उनके पास जिस गोदनामा के आधार पर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (धौलपुर) राज0

नामान्तकरण खोला गया है वह उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी राय में उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 98/1–02, 226/1–09, 311/0–08, 426/0–05 कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा 04 विस्वा बांके ग्राम पुरा मदारी तह0 बाडी जिला धौलपुर में वादी 1/12 भाग का तथा प्रति0 सं0 1 लगा0 17 1/3 भाग के तथा प्रति0 सं0 18 1/12 भाग का, प्रति0 सं0 19 1/12 भाग का, प्रति0 सं0 20 लगा0 23 1/12 भाग का तथा प्रति0 सं0 24 शेष 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार वादी व प्रति0 के नाम का अंकन किया जावे। निर्णय के अनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brajesh Kumar Mangal
Date: 2019.12.27 16:19:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: